


गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान न्यू-राजस्थान अधिनियम
1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 29/9/2017
को पेश हो।

तहसीलदार, रिवा बड़ी
(पानीर-तहसील)

676
14/9/2017

29/9/2017

पञ्जाबरी पेश हुई। गैर सायल शिकारा 340 हुआ
एमें सुना गया। पञ्जाबरी का इन्फोर्मेशन किमा
संश्लेष में विवक्षित इस प्रकार है कि पञ्जाबरी एका
अंशालय भोजन सन्निवेश मील के खण्ड 699 एका
8.0200 हेक्टर क्षेत्र भूमि में सु-रास्ता पर शक्य
2014 में शिकाराल रूप में गत जायी गइ विवासी
सन्निवेश मील के विस्तार सत्रकीय भूमि पर कोये न
सादरशी कर साजायत कबजा कये के स्वयम् में
अभिप्राय करये कीसकिये की 0 की 0 रिपोर्ट पेश की
जिस पर इस नतमापम में शत्रल प्रवर्षा सि कर
गैर सायल के विवक्षित सत्रकीय न-राजाल सन्निवेश
1956 की धारा 91 की धरि कि जाकर नोटिस
जारी किमा गया। गैर सायल 340 हुआ एमें सुनाया
गैर सायल का सत्रकीय भूमि में सु-रास्ता पर शक्य
करये के कारण सन्निवेश मील के विवक्षित जाकर



(अ. नि. शिकारा)

